



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2017/आश्विन 7, 1939

No. 381]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2017/ASVINA 7, 1939

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2017

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी) (संशोधन)

विनियम, 2017

सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.016—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी) विनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2017 है।
2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी) विनियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 3 के उप-विनियम (ङ) और (च) का लोप किया जाएगा।
4. मूल विनियमों के विनियम 8 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) उप-विनियम (1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,—

(क) कोई व्यक्ति, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, चाहे स्वयं या मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ, किसी इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी की इक्यावन प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी अथवा कुल मताधिकार, उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन वर्ष तक धारित कर सकेगा; या

(ख) कोई भारतीय कंपनी, (i) जो किसी मान्यता-प्राप्त भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, या (ii) जहां कोई व्यक्ति, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, चाहे स्वयं या मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ, दस प्रतिशत से अधिक प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी धारित नहीं करता है, वे किसी इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी की शत-प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी अथवा कुल मताधिकार, उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन वर्ष तक धारण कर सकेंगे:

परन्तु इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी 30 सितम्बर, 2018 से पूर्व रजिस्ट्रीकृत की गई हो।”

5. मूल विनियमों के विनियम 9 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1क). किसी इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के आधे से अधिक निदेशक भारतीय राष्ट्रिक और भारत के निवासी होंगे।”

डॉ एम.एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असाधारण/248/17]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी) विनियम, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी. 009 द्वारा तारीख 31 मार्च, 2017 को प्रकाशित किए गए थे।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2017

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (INFORMATION UTILITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2017

No. IBBI/2017-18/GN/REG016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017, namely: —

1. These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2017.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017 (hereafter referred to as the principal regulations), in regulation 3, sub-regulations (e) and (f) shall be omitted.
4. In the principal regulations, in regulation 8, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-regulation (1)—

- (a) a person may, directly or indirectly, either by itself or together with persons acting in concert, hold up to fifty-one percent of the paid-up equity share capital or total voting power of an information utility up to three years from the date of its registration; or
- (b) an Indian company, (i) which is listed on a recognised Stock Exchange in India, or (ii) where no individual, directly or indirectly, either by himself or together with persons acting in concert, holds more than ten percent of the paid-up equity share capital, may hold up to hundred percent of the paid-up equity share capital or total voting power of an information utility up to three years from the date of its registration.

Provided that the information utility is registered before 30th September, 2018.”

5. In the principal regulations, in regulation 9, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—
“(1A) More than half of the directors of an information utility shall be Indian nationals and residents in India.”

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.–III/4/Exty./248/17]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG009 on 31st March, 2017.